उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

5. उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होगी।

6. आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

7. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

8. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

9. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. <u>आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें</u>:– (केवल आयु में छूट हेतु):– आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या– 22/10/1976 – कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गई हो।

7. <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> :– ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. <u>शैक्षिक अर्हतायें (विषयवार)</u>:–

(1) <u>राजकीय विद्यालयों के पदों हेतु</u>:– आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यथियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिये। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑन–लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करे। सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत् निर्धारित हैं:–

क्र.सं.	पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं
1.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हिन्दी	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में हिन्दी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद् से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
2.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) अंग्रेजी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
3.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) गणित	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि । (2)भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
4.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। (2)भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
5.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) सामाजिक विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
6.	Assistant Teacher (Male/Female) Computer	(1) B.Tech./B.E. (Computer Science) from a University/Deemed University/Institution established by law in India. OR Graduate in Computer Science OR Graduate in Computer Application OR Graduation degree along with 'A' Level course from NIELIT OR B.Tech. (Graduation in Computer Science) and MCA (Post Graduation in Computer Science) (2) Degree of Graduation in Education (B.Ed.) in a course recognized by NCTE in India as preferential qualification.
7.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) उर्दू	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
8.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) जीव विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से विषयों के रूप में जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
9.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) संस्कृत	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0)की उपाधि।
10.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) कला	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बीएड0) की उपाधि। अथवा (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से ललितकला (बी0एफ0ए0) में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से अधिमानी अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
11.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) संगीत	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि । अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर। <u>टिप्पणी</u>– संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
12.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) वाणिज्य	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0)की उपाधि।
13.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) शारीरिक शिक्षा	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बी0पी0एड0 अथवा बी0पी0ई0।
14.	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) गृह विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
15.	सहायक अध्यापक (पुरूष) कृषि/उद्यानकर्म	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से कृषि/उद्यानकर्म में स्नातक की उपाधि। (2) भारत में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0)की उपाधि।

नोटः– सहायक अध्यापक (कृषि) पद हेतु केवल पुरूष अभ्यर्थी ही पात्र हैं क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरूष शाखा के लिए ही है।

<u>अधिमानी अर्हता:–</u> अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>(2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत पदों हेतु</u>:–

(i) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (क्षीण दृष्टि) में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 की उपाधि।

(तीन) ब्रेल पद्धति में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।

(चार) क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन के लिये विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।

(ii) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (संकेत मूक बधिर विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (श्रवण क्षीणता) में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से श्रवण क्षीणता अध्यापन में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 की उपाधि।

(तीन) सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।

(चार) श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिये विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।

(iii) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)/विशिष्ट अध्यापक (प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 की उपाधि।

(तीन) चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात में विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) में पंजीकरण।

<u>अधिमानी अर्हता:–</u> अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>(1) उपर्युक्त वर्णित पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ</u>

- **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 (यथासंशोधित)**
- **उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 (यथासंशोधित)**

9. <u>आयु सीमा</u>:– (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ii) **<u>अधिकतम आयु सीमा में छूट</u>:– (क)** उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

10. <u>सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) की मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें</u>:–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किये जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/–, योग रु0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

<u>नोट</u>– सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरूष/महिला शाखा) तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) की परीक्षा की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. <u>अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश</u>:– (1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर/प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा